भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) विनियम, 2020[1]

(5.12.2024 तक अद्यतीकरण किया गया)

आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम 2016 (2016 का 18), यथा संशोधित आधार एवं अन्य कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019 (2019 का 14), की धारा 54 की उप-धारा (1) एवं धारा 54 की उप-धारा (2) के खंड (भ) के साथ पठित धारा 21 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण एतद्द्वारा प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति के नियमन हेतु निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः :–

अध्याय I
प्रस्तावना

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.–(1) इन विनियमों को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) विनियम, 2020 कहा जाएगा।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.–(1) इन विनियमों में जब तक कि अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "अधिनियम" से आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का18), यथा संशोधित आधार एवं अन्य कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019 (2019 का 14) द्वारा, अभिप्रेत है;

(ख) "नियुक्ति प्राधिकारी" से मुख्य कार्यकारी अधिकारी या ऐसा अन्य अधिकारी जिसे प्राधिकरण द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा ऐसी शक्तियां और कार्य प्रत्यायोजित किए गए हों, अभिप्रेत है;

(ग) "प्राधिकरण" से अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) के अधीन स्थापित भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(घ) "अध्यक्ष" से अधिनियम की धारा 12 के अधीन पूर्णकालिक या अंशकालिक रूप से नियुक्त प्राधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ङ) "मुख्य कार्यकारी अधिकारी" से अधिनियम की धारा 18 के अधीन केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिप्रेत है;

(च) "पद" से इस विनियम की अनुसूची में उल्लिखित श्रेणी में कोई पद चाहे वह स्थायी या अस्थायी हो, अभिप्रेत है;

(छ) "चयन समिति" से किसी ग्रेड में अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति, आमेलन, प्रोन्नति और प्रतिनियुक्ति के लिए चयन पर विचार करने हेतु इन विनियमों की अनुसूची के अनुसार गठित समिति अभिप्रेत है।

(2) इन विनियमों में प्रयोग किए गए शब्दों या अभिव्यक्तियों, जिन्हें परिभाषित नहीं किया गया है, का वही अर्थ होगा जो अधिनियम के अधीन उनके लिए क्रमश: विहित किया गया है।

(3) इन विनियमों के प्रयोजनार्थ, जहां कहीं भी संदर्भ द्वारा अपेक्षित हो, पुल्लिंग के लिए आए शब्द 'वह', 'उसे' 'उसका' और 'वह स्वयं' स्त्रीलिंग के 'वह', 'उसे' 'उसका' और 'वह स्वयं' के लिए भी संदर्भित होंगे और एकवचन में बहुवचन भी शामिल होगा।

---

[1] भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, दिनांक 22.1.2020 में अधिसूचना संख्या, ए 12013/13/आरआर/2016-यूआईडीएआई (2020 की संख्या 1), दिनांक 21.1.2020 द्वारा प्रकाशित और बाद मे संसोधन अधिसूचनाओ संख्या ए –12013/13/आरआर/2016- यूआईडीएआई, दिनाँक- 21.1.2020; ए –12013/13/आरआर/2016- यूआईडीएआई, दिनाँक- 27.12.2021; ए –12013/13/आरआर/2016- यूआईडीएआई, दिनाँक- 21.3.2022; A-12013/13/RR/2016-UIDAI(E) दिनाँक- 25.9.2023 (प्रभाव से 26.9.2023); ए –12013/13/आरआर/2016- यूआईडीएआई (ई), दिनाँक- 24.1.2024 (प्रभाव से 25.1.2024), ए –12013/13/आरआर/2016- यूआईडीएआई (ई), दिनाँक- 15.10.2024 (प्रभाव से 17.10.2024) द्वारा संसोधित।

3. लागू करने की शक्ति.–(1) इन विनियमों को लागू करने की शक्ति मुख्य कार्यकारी अधिकारी या ऐसे अधिकारी के पास निहित होंगी, जिन्हें प्राधिकरण द्वारा शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं।

(2) उप-विनियम (1) के तहत प्रयोग की जाने वाली शक्तियां किसी भी उच्चतर इकाई, जिसमें उच्च वरीयता के अधिकारी शामिल हैं, द्वारा भी प्रयोग की जा सकती हैं।

(3) मुख्य कार्यकारी अधिकारी या वह अधिकारी जिसके पास ऐसी शक्तियां निहित हैं, इन विनियमों के क्रियान्वयन के दौरान उत्पन्न सभी परिवादों, शिकायतों, विवादों और इस तरह के अन्य मामलों पर निर्णय लेने के उत्तरदायी होगा:

परंतु यह कि निर्णय से क्षुब्ध कोई अधिकारी या कर्मचारी ऐसे निर्णय के विरूद्ध निर्णय सूचित करने के पैंतालिस दिन के भीतर निम्न के समक्ष अपील कर सकते हैं -

(क) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जहां उनसे अधीनस्थ अधिकारी द्वारा ऐसे आदेश पारित किए गए हों, या

(ख) प्राधिकरण, जहां ऐसा आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा पारित किया गया हो:

बशर्ते यह भी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्राधिकरण की उस बैठक में भाग नहीं लेंगे, जहां उनके निर्णय के विरूद्ध की गई अपील पर निर्णय लिया जा रहा हो।

4. अधिकारियों और कर्मचारियों के संवर्ग का गठन.–(1) अधिकारियों और कर्मचारियों के संवर्ग में:

(क) ऐसा व्यक्ति जिसको विनियम 5 के अधीन प्राधिकरण के संवर्ग के प्रारंभिक गठन के समय आमेलित किया गया हो; और

(ख) ऐसा व्यक्ति जिसको विनियम 7, 8 और 9 के अधीन संवर्ग के प्रारंभिक गठन के बाद पद पर नियुक्त किया गया हो; सम्मिलित होगा।

(2) इस विनियम के उप-विनियम (1) के खंड (क) के अधीन नियुक्त किसी व्यक्ति को ऐसी नियुक्ति के साथ प्राधिकरण में उसकी प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि अथवा 12 जुलाई 2016, जो भी बाद में हो, से उनसे संबद्ध उचित श्रेणी में संवर्ग का सदस्य माना जाएगा।

(3) इस विनियम के अधीन प्राधिकरण में नियुक्ति के समय वेतन सामान्यतया केंद्र सरकार के संबंधित नियमों, विनियमों या निर्देशों के अनुसार जैसा कि नियुक्त किए गए व्यक्ति पर लागू हो या वेतन मैट्रिक्स में संबंधित स्तर में न्यूनतम वेतन पर विहित किया जाएगा। तथापि, चयन समिति की अनुशंसा पर प्राधिकरण वरिष्ठता तथा पहले से प्राप्त कर रहे वेतन, उच्च शैक्षणिक योग्यता या प्राधिकरण के महत्व का विशेष अनुभव को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त वेतन वृद्धि देकर स्तर के उच्चतर बिन्दु, जो कि ग्रेड में नियुक्ति के लिए तय किए गए वेतन मैट्रिक्स स्तर में चार से अधिक न हो, पर विहित कर सकता है।

अध्याय II
भर्ती की पद्धतियां

5. संवर्ग का प्रारंभिक गठन.–(1) संवर्ग प्रारंभ में ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों से गठित किया जाएगा, जो इस संवर्ग के गठन के ठीक पहले अनुसूची में सूचीबद्ध कोई पद धारित कर रहे हों, यदि उक्त पद अनुसूची में आमेलन के लिए उपलब्ध है। आमेलन के लिए प्रस्ताव ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों को दिया जाएगा, जो इन विनियमों की अनुसूची के अंतर्गत किसी पद को संभाल रहे हैं, और ऐसे अधिकारी या कर्मचारी द्वारा विकल्प का उपयोग करने पर, प्राधिकरण यहां निहित प्रावधानों के अधीन आमेलन पर विचार करेगा।

(2) किसी भी व्यक्ति को आमेलन के लिए विचार नहीं किया जाएगा, जब तक ऐसा व्यक्ति:

(क) प्राधिकरण में निरंतर सेवा के तीन साल पूरे न कर चुका हो; तथा

(ख) अनुशासनात्मक और सतर्कता मामलों से मुक्त न हो।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी उल्लिखित उप-विनियम (1) में संदर्भित किसी व्यक्ति को आमेलित कर सकता है :-

(क) चयन समिति की अनुशंसा पर और ऐसे व्यक्ति की सापेक्षिक योग्यता, उपयुक्तता व प्राधिकरण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए; और

(ख) उनके मूल मंत्रालय, विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या सांविधिक या स्वायत्त निकाय, जैसा भी मामला हो, के साथ ऐसे व्यक्तियों के आमेलन हेतु परामर्श करके।

(4) किसी व्यक्ति की सापेक्षिक योग्यता, उपयुक्तता और आवश्यकता के निर्धारण के लिए:

(क) चयन समिति के समक्ष ऐसे पात्र अधिकारियों और कर्मचारियों, जिन्होने आमेलन के विकल्प का उपयोग किया हो, का पिछला अनुभव, निष्पादन रिपोर्ट, सतर्कता स्थिति, असाधारण योगदान आदि दर्शाते हुए संक्षिप्त विवरण विचारार्थ रखा जाएगा; तथा

(ख) लघुसूची में रखे गए अधिकारियों और कर्मचारियों को, प्राधिकरण में उनकी सेवा के दौरान किए गए पांच असाधारण योगदानों पर, संक्षिप्त विवरण चयन समिति के विचारार्थ प्रस्तुत करना होगा।

(5) प्राधिकरण, उल्लिखित आमेलन के लिए समय-समय पर जैसा उचित समझे, अन्य शर्तें निर्धारित कर सकती है।

(6) इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख से पहले प्राधिकरण में अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा की गई सेवा की इस विनियम के प्रयोजन हेतु नियमित सेवा के रूप में गणना की जाएगी।

6. भर्ती की पद्धति.–(1) संवर्ग के प्रारंभिक गठन के पश्चात, अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी श्रेणी में यदि कोई रिक्ति उत्पन्न होती है या किसी श्रेणी में यदि कोई नया पद सृजित होता है तो उसे अनुसूची में दी गई प्रणाली से भरा जाएगा।

(2) इस विनियम के खंड (1) के अधीन प्रत्येक मामले में चयन अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट चयन समिति की अनुशंसा पर किया जाएगा।

(3) इन विनियमों में किसी बात के होते हुए भी, नियुक्ति प्राधिकारी समय-समय पर विहित कर सकते हैं:-

(क) विभिन्न माध्यमों से रिक्तियों को भरने के लिए उम्मीदवारों के चयन के लिए संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट मानदंडों के अतिरिक्त पात्रता मानदंड; तथा

(ख) नियुक्ति और प्रोन्नति के लिए कार्यविधि, जब तक अन्यथा इन विनियमों में उपबंधित नहीं किया गया है।

7. सीधी भर्ती.– सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का चयन निम्न विहित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा:

(क) भरे जाने वाली रिक्तियों को कम से कम दो प्रमुख राष्ट्रीय समाचार पत्रों और प्राधिकरण की वेबसाईट पर विज्ञापित किया जाएगा।

(ख) अभ्यर्थी भारत का नागरिक होना चाहिए या उसे ऐसे व्यक्तियों की श्रेणी से संबंधित होना चाहिए, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाए।

(ग) वह व्यक्ति –

(i) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह या विवाह का करार किया है, जिसकी पहले से ही पत्नी/पति जीवित है, या

(ii) जिसने एक पत्नी/पति के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति के साथ विवाह या विवाह का करार किया है, प्राधिकरण में किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

बशर्ते यह कि प्राधिकरण यदि इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुमेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस विनियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

(घ) सीधी भर्ती द्वारा संवर्ग में नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट होगी।

(ङ) प्राधिकरण के संवर्ग में शामिल और अपेक्षित शैक्षिक अर्हताएं व अनुभव रखने वाले अधिकारी व कर्मचारी भी सीधी भर्ती के आधार पर भरे जाने वाले पदों के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे।

(च) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और अन्य श्रेणियों के लिए पदों के आरक्षण पर केंद्र सरकार के वर्तमान में लागू आदेश और नीतियां इन पदों पर लागू होंगी।

(छ) प्राधिकरण या केंद्र या राज्य सरकार या संघ-राज्य क्षेत्र प्रशासन के कर्मचारी जो आवेदन करने की अंतिम तारीख को नियमित और लगातार पांच वर्ष की सेवा कर चुके हैं, ऊपरी आयु सीमा में अधिकतम पांच वर्ष की छूट के पात्र होंगे।

(ज) विज्ञापन में उल्लिखित अंतिम तिथि तक प्राप्त न होने वाले आवेदनों या विहित शर्तों को पूरा न करने वाले अभ्यर्थियों के आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

(झ) शेष आवेदन पत्रों में से, प्राधिकरण अभ्यर्थियों की लघुसूची बनाएगा, जिन्हें चयन प्रक्रिया के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें लिखित परीक्षा या तकनीकी मूल्यांकन या साक्षात्कार या इन सबका सम्मिश्रण या चयन समिति द्वारा यथा विहित अन्य कोई प्रक्रिया शामिल हो सकता है।

बशर्ते कि प्राधिकरण तकनीकी अधिकारी और सहायक निदेशक (प्रौद्योगिकी) के पद पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों की लघु-सूची के लिए प्रासंगिक विषय में ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (गेट) के अंक का उपयोग कर सकता है।

(ञ) अभ्यर्थियों का अंतिम चयन नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चयन समिति की अनुशंसा पर किया जाएगा। चयन समिति चयन प्रक्रिया में अभ्यर्थी के निष्पादन, उसकी शैक्षिक योग्यता, कार्य अनुभव और ऐसे अन्य मापदण्ड, जो इसके द्वारा उचित समझे जाएं, को यथोचित महत्व देगी।

(ट) नियुक्ति प्राधिकारी चयनित अभ्यर्थियों के नामों की सूची, उनके चयन प्रक्रिया में निष्पादन के अनुसार अनुरक्षित करेंगे, जिन्हें संबंधित पदों पर भावी रिक्तियों पर नियुक्ति का प्रस्ताव दिया जा सकता है। नामों की ऐसी कोई सूची, यदि तैयार और अनुरक्षित की गई है, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इसके अनुमोदन के दिन से बारह महीने की अवधि तक के लिए मान्य रहेगी।

(ठ) ऐसा अभ्यर्थी, जो प्राधिकरण द्वारा विहित चिकित्सा परीक्षण के बाद, मानसिक या शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं पाया जाता है और किसी प्रकार के मानसिक व शारीरिक कमी, जिसकी वजह से सेवा के कार्यों के निर्वहन में बाधा उत्पन्न होती हो, से मुक्त न हो, को पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। किसी अभ्यर्थी के शारीरिक परीक्षण किए जाने के तथ्य का यह अर्थ या अंतर्निहित नहीं है कि उसकी नियुक्ति पर विचार किया ही जाएगा।

8. संवर्ग गठन के बाद स्थायी आमेलन.– नियुक्ति प्राधिकारी समय-समय पर प्राधिकरण में पहले से नियुक्त और अनुसूची में सूचीबद्ध कोई भी पद धारित ऐसे व्यक्ति को विनियमन 5 के उप-विनियमन (2) से (4) में दी गयी शर्तों और प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए उपयुक्त आदेश द्वारा स्थायी आमेलन के आधार पर नियुक्त कर सकते हैं।

9. प्रोन्नति.–(1) विभिन्न श्रेणियों में प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट अवर श्रेणियों में से की जाएगी।

(2) सभी प्रोन्नतियाँ नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चयन समिति की अनुशंसा पर अनुसूची के अनुसार उपलब्ध स्वीकृत पदों के समक्ष उपयुक्तता और सापेक्षिक योग्यता के आधार पर की जाएगी।

बशर्ते कि प्रोन्नति के लिए किसी कर्मचारी की उपयुक्तता और सापेक्षिक योग्यता का आकलन करने के लिए कर्मचारी का उस पद या श्रेणी, जहां से उसे प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, में प्रदर्शन पर विचार किया जाएगा और प्राधिकरण, पात्र अधिकारियों के पिछले अनुभव, निष्पादन रिपोर्ट, सतर्कता स्थिति, असाधारण योगदान आदि दर्शाते हुए संक्षिप्त विवरण चयन समिति के विचारार्थ तैयार करेगा।

बशर्ते कि योग्य उम्मीदवारों के बीच प्रोन्नति के लिए विचार क्षेत्र उपलब्ध रिक्तियों की संख्या का तीन गुना होगा और प्रोन्नति के लिए रिकॉर्ड की उपलब्धता के आधार पर ऐसे सभी उम्मीदवारों पर एक समान अवधि, जो प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, के रिकॉर्ड के आधार पर विचार किया जाएगा। यदि किसी उम्मीदवार का निर्धारित अवधि का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हैं तो ऐसे उम्मीदवार के उक्त निश्चित अवधि से पहले के प्रथम वर्ष के रिकॉर्ड पर विचार किया जाएगा। यदि निश्चित अवधि से पहले प्रथम वर्ष के रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हैं, तो निश्चित अवधि से पहले के दूसरे वर्ष के रिकॉर्ड पर विचार किया जाएगा। यह सिद्धांत उन सभी वर्षों के लिए लागू किया जाएगा जिनके लिए रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हैं। यदि उपर्युक्त के अनुसार, उपलब्ध रिक्ति/रिक्तियों की तुलना में विचार क्षेत्र का गठन करने के लिए उम्मीदवारों की अपेक्षित संख्या उपलब्ध नहीं है, तो सभी अधिकारी जो अन्यथा उपलब्ध हैं, पर विचार किया जाएगा।

बशर्ते यह भी कि स्तर 11 तक के पदों पर पदोन्नति, प्राधिकरण द्वारा निर्धारित बेंचमार्क के अनुसार, वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर की जाएगी। इससे पिछले परंतुक के प्रावधान स्तर 11 तक के पदों पर पदोन्नति के लिए भी लागू होंगे।

10. वरिष्ठता.–(1) संवर्ग के प्रारंभिक गठन के समय किसी श्रेणी में नियुक्त संवर्ग के सदस्यों की संगत वरिष्ठता प्राधिकरण द्वारा विहित की जाएगी और जब तक कि विशेष कारणों से अन्यथा निर्णय न लिया गया हो, इस विनियम के प्रारंभ होने की तारीख को प्राप्त संगत वरिष्ठता द्वारा विनियमित होगी।

(2) किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में जो प्रारंभ में प्रतिनियुक्ति या अन्य प्रकार से लिया गया हो और बाद में उसे आमेलित किया गया हो, उसकी उस पद या श्रेणी जिसमें उसे आमेलित किया गया है, में वरिष्ठता की गणना सामान्यतया आमेलन का आदेश जारी होने की तारीख से की जाएगी। तथापि, यदि वह अपने मूल विभाग में पहले से ही (आमेलन की तारीख को) समरूप या समतुल्य पद या श्रेणी में नियमित आधार पर धारण कर रहा हो, उस पद या श्रेणी में ऐसी नियमित सेवा का भी उसकी वरिष्ठता के निर्धारण में विचार किया जाएगा, बशर्ते कि उन्हें वरिष्ठता तब से दी जाएगी-

(क) उस तारीख जब से वह प्रतिनियुक्ति या अन्य प्रकार से पद धारण कर रहा है, या

(ख) उस तारीख जब से उसे अपने मूल विभाग में समरूप या समतुल्य पद या श्रेणी में नियमित आधार पर नियुक्त किया गया है,

जो भी पहले हो:

बशर्ते कि स्थानांतरी की वरिष्ठता का निर्धारण उपर्युक्त सिद्धांत के अनुसार होगा, तथापि, यह ऐसे आमेलन की तारीख से पहले श्रेणी में की गई किसी नियमित प्रोन्नति को प्रभावित नहीं करेगा:

बशर्ते और कि एक समान स्थिति के आमेलित व्यक्तियों की परस्पर वरिष्ठता चयन समिति द्वारा प्रदत्त योग्यता क्रम से निर्धारित होगा।

(3) सभी सीधी भर्तियों की सापेक्षिक वरिष्ठता उस योग्यता के क्रम द्वारा निर्धारित की जाएगी, जिसमें उन्हें एक विशिष्ट पद पर नियुक्ति के लिए चुना गया है। पूर्व के चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त किए गए व्यक्ति आगामी चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त किए गए व्यक्ति से वरिष्ठ रैंक के होंगे।

(4) ऐसे प्रोन्नतों की वरिष्ठता, जहां प्रोन्नति चयन समिति की अनुशंसा पर की जाती है, उस क्रम में होगी जिसमें उन्हें समिति द्वारा इस तरह के प्रोन्नति के लिए अनुशंसित किया गया है। जहां प्रोन्नति वरिष्ठता के आधार पर की जाती है, अस्वीकृत अयोग्य के अतिरिक्त, प्रोन्नति के लिए योग्य माने जाने वाले व्यक्तियों की वरिष्ठता निम्न श्रेणी, जिससे वे प्रोन्नत होते हैं, की सापेक्षिक वरिष्ठता के समान होगी। हालांकि, जहाँ एक व्यक्ति जिसे प्रोन्नति लिए अयोग्य माना जाता है और एक कनिष्ठ द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है और वैसा व्यक्ति यदि बाद में योग्य पाया जाता है और प्रोन्नत होता है तो वह उच्च ग्रेड में वैसे कनिष्ठों, जिन्होंने उसे प्रतिस्थापित किया है, के ऊपर वरिष्ठता नहीं प्राप्त करेगा।

(5) उपर्युक्त उपबंधों में शामिल नहीं होने वाले अधिकारी या कर्मचारी की वरिष्ठता नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विहित की जाएगी।

(6) प्राधिकरण प्रत्येक वर्ष अपने सेवारत कर्मचारियों का उनके वरिष्ठता के क्रम में उनके नाम के साथ ऐसे अन्य ब्योरों, जो नियुक्ति प्राधिकारी निर्धारित करे, को दर्शाते हुए एक सूची तैयार करेगा और ऐसी सूची की एक प्रति प्रत्येक कर्मचारी को उपलब्ध कराई जाएगी।

11. प्रतिनियुक्ति.–(1) प्रतिनियुक्ति पर भरे जाने वाले पदों को केंद्र सरकार, राज्य सरकारों तथा संघ-राज्य क्षेत्रों के मंत्रालयों/विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों और सांविधिक तथा स्वायत्त निकायों, जिनके पास प्राधिकरण की आवश्यकताओं के अनुकूल अर्हताएं व अनुभव रखने वाले व्यक्ति उपलब्ध होने की संभावना हो और वे प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर कार्यग्रहण करने के इच्छुक हों, के बीच व्यापक रूप से प्रसारित किया जाएगा।

(2) प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों का चयन चयन समिति की अनुशंसा पर किया जाएगा।

[2][बशर्ते कि उपमहानिदेशक के चार पदों और निदेशक के दो पदों को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा अखिल भारतीय सेवावों द्वारा तथा केन्द्रीय स्टाफिंग योजना की प्रक्रिया का पालन करते हुये उक्त विभाग द्वारा संचालित केन्द्रीय स्टाफिंग योजना में जुड़े केंद्र सरकार के समूह 'क' सेवाओं से प्रतिनियुक्ति कार्यकाल पर भरा जाएगा, और इस प्रकार भरे गए पदों के संबंध मे चयन समिति की भर्ती विधि लागू नहीं होगी ।]

(3) प्राधिकरण में इन विनियमों के अधीन प्रतिनियुक्ति पर की गई सभी नियुक्तियां प्रारंभ में अधिकतम पांच वर्ष की अवधि के लिए होंगी, जिसे ऐसी अवधि और इस प्रकार से बढ़ाया जा सकेगा, जैसा प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर विहित किया जाए।

12. परिवीक्षा.–(1) वेतन के निर्दिष्ट स्तर में किसी पद पर सीधे नियुक्त या एक समूह से दूसरे में प्रोन्नत अधिकारी या कर्मचारी दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी, यदि वह इसे आवश्यक समझे, लिखित रूप में कारण रिकार्ड करके असंतोषजनक कार्यनिष्पादन पर परिवीक्षा की अवधि एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा सकते हैं या लिखित रूप में कारण रिकार्ड करके परिवीक्षा की अवधि को कम या समाप्त कर सकते हैं।

(3) इस विनियम में जैसे अन्यथा उपबंधित किया गया हो को छोड़, कोई अधिकरी या कर्मचारी उस पद पर जिसमें उसे नियुक्त या प्रोन्नत, जैसा भी मामला हो, किया गया हो, परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर स्थायीकृत माना जाएगा।

(4) यदि किसी कर्मचारी की परिवीक्षा अवधि के दौरान कार्यनिष्पादन संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो, बिना कोई कारण बताए उसे एक माह का नोटिस देकर या इस अवधि के बदले एक माह का वास्तविक वेतन भुगतान करके, जैसे भी मामला हो, प्राधिकरण की सेवा से हटाया जा सकता है या निम्नतर पद पर पदावनत किया जा सकता है।

13. संविदात्मक नियुक्ति.–(1) अनुबंध के आधार पर भरे जाने वाले पदों को प्राधिकरण द्वारा विहित निबंधन एवं शर्तों और योग्यता मानदंडों के अनुसार निर्दिष्ट अवधि के लिए भरा जाएगा।

(2) संविदात्मक नियुक्ति केवल कार्य की अनिवार्यता में अल्पकालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाएगी।

14. कतिपय मामलों में उच्चतर श्रेणी और निम्नतर श्रेणी के कार्यों का निर्वहन.– सक्षम प्राधिकारी सेवाओं की अत्यावश्यकता को ध्यान में रखते हुए आदेश द्वारा निर्देशित कर सकते हैं कि -

(क) कोई अधिकारी या कर्मचारी एक व्यक्तिगत पद या उत्तरदायित्व को जारी रखते हुए, ऐसी अवधि के लिए जैसा कि आदेश में निर्दिष्ट किया गया हो, बिना किसी भी वित्तीय लाभ के अगले उच्च ग्रेड का कार्य निर्वहन करे; या

(ख) कोई अधिकारी या कर्मचारी, जोकि संवर्ग में उच्चतर पद से संबद्ध है, ऐसे पद पर रहते हुए बिना किसी वित्तीय या अन्य हानि के उससे ठीक निम्नतर श्रेणी के पद से संबंधित उत्तरदायित्वों का निर्वहन करे।

अध्याय III
विविध

15. शिथिल करने की शक्ति.– प्राधिकरण, जहाँ उसकी यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन विनियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संबंध में, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगा।

16. व्याख्या.– इस विनियम के क्रियान्वयन से संबंधित यदि कोई प्रश्न उठते हैं, उन पर प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

17. कठिनाईयों का निराकरण.– प्राधिकरण इस विनियम के उपबंधों के संचालन में आने वाली कठिनाईयों के निराकरण के लिए, समय-समय पर ऐसे सामान्य या विशिष्ट निर्देश, जो आवश्यक हों, जारी कर सकेगा।

---

[2]प्रविष्टि परंतुक को मुख्य विनियम संसोधन की अधिसूचना संख्या A-12013/13/RR/2016-UIDAI(E) दिनाँक- 25.9.2023 (प्रभाव से 26.9.2023) से जोड़ा गया ।

अनुसूची
(विनियम 5, 6, 7, 8 और 9 देखें)

पद का नाम	**पदों की संख्या**	**भर्ती की पद्धति और विभिन्न विधियों द्वारा भरे जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत**	**सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा**	**सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं**	**श्रेणी, जिससे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है**	**चयन समिति का संयोजन**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
उपमहानिदेशक	17* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय	1. 33% प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा 2. 33% प्रतिनियुक्ति-सह-आमेलन द्वारा 3. शेष प्रतिनियुक्ति द्वारा या संविदा आधार पर	लागू नहीं	लागू नहीं	1. प्रोन्नति – प्राधिकरण में [3][सहायक महानिदेशक] अथवा [3][सहायक महानिदेशक (प्रौद्योगिकी)] के रूप में न्यूनतम चार वर्ष की नियमित सेवा की हो। 2. प्रतिनियुक्ति द्वारा-(i) केंद्र सरकार के अधिकारी जो अपने मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हों; या जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स लेवल 13 या इससे अधिक में चार वर्ष की नियमित सेवा की हो। या (ii) राज्य सरकार/ संघ-राज्य क्षेत्र/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ स्वायत्त संगठन के अधिकारी जो अपेक्षित कार्य अनुभव के समतुल्य श्रेणी में नियमित पद धारण किए हों। (iii) आयु 56 वर्ष से अधिक न हो।	1. प्राधिकरण 2. वाह्य विशेषज्ञ, यदि समिति के अध्यक्ष द्वारा आवश्यक समझा जाए
[4][निदेशक]	[4][41]	1. 33% प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	लागू नहीं	लागू नहीं	1. प्रोन्नति – प्राधिकरण में उपनिदेशक के रूप में न्यूनतम आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो।	1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भा.वि.प.प्रा.- अध्यक्ष

[3] प्रविष्टि को मुख्य विनियम का दूसरा संसोधन विनियम की अधिसूचना संख्या ए–12013/13/आर आर/2016- यूआईडीएआई दिनाँक- 21.3.2022 से पुनः पदनामित कर प्रतिस्थापित किया गया ।

[4] प्रविष्टि को मुख्य विनियम का दूसरा संसोधन विनियम की अधिसूचना संख्या ए–12013/13/आर आर/2016- यूआईडीएआई दिनाँक- 21.3.2022 से पुनः पदनामित कर प्रतिस्थापित किया गया ।

पद का नाम	पदों की संख्या	भर्ती की पद्धति और विभिन्न विधियों द्वारा भरे जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	श्रेणी, जिससे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है	चयन समिति का संयोजन
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		2. 33% प्रतिनियुक्ति-सह-आमेलन द्वारा 3. शेष प्रतिनियुक्ति द्वारा या संविदा आधार पर			2. प्रतिनियुक्ति द्वारा-(i) केंद्र सरकार के अधिकारी जो अपने मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हों; या जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स लेवल 12 या इससे अधिक में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो। या (ii) राज्य सरकार/ संघ-राज्य क्षेत्र/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ स्वायत्त संगठन के अधिकारी जो अपेक्षित कार्य अनुभव के समतुल्य श्रेणी में नियमित पद धारण किए हों। (iii) आयु 56 वर्ष से अधिक न हो।	2. भा.वि.प.प्रा के दो उपमहानिदेशक-सदस्य 3. वाह्य विशेषज्ञ, यदि समिति के अध्यक्ष द्वारा आवश्यक समझा जाए
[5]**[सहायक महानिदेशक** वेतन मैट्रिक्स स्तर-12]	01	प्रतिनियुक्ति/ संविदा		लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति से-(i) केंद्र सरकार मे सदृश्य पद पर अपने मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर कार्यरत अधिकारी। **या** जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स लेवल 11 में चार वर्ष या उससे अधिक की नियमित सेवा; **या** अपेछित अनुभव के साथ समतुल्य ग्रेड में नियमित पद पर कार्यरत राज्य / संघ-शासित सरकार / सार्वजनिक उपक्रम / स्वायत्त संगठन के अधिकारी। (iii) आयु 56 वर्ष से कम।	1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,यूआईडीएआई- अध्यक्ष 2. दो यूआईडीएआई के उपमहानिदेशक-सदस्य 3. बाहरी विशेषज्ञ, यदि समिति के अध्यक्ष आवश्यक समझें ।

[5] प्रविष्टि को मुख्य विनियम का दूसरा संसोधन विनियम की अधिसूचना संख्या ए –12013/13/आर आर/2016- यूआईडीएआई (2022 का संख्या 3) दिनाँक- 21.3.2022 से जोड़ा गया ।

पद का नाम	पदों की संख्या	भर्ती की पद्धति और विभिन्न विधियों द्वारा भरे जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	श्रेणी, जिससे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है	चयन समिति का संयोजन
1	2	3	4	5	6	7
उपनिदेशक	42* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय	1. 50% प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा 2. शेष प्रतिनियुक्ति-सह-आमेलन द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	अधिकतम: 45 वर्ष	1. किसी भी विषय में स्नातक के साथ सरकारी एजेंसियों से मान्यताप्राप्त किसी संस्थान से निम्न मेन से कोई भी व्यावसायिक डिग्री: (क) व्यवसाय प्रशासन में स्नातकोत्तर/व्यवसाय प्रशासन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, (ख) कंप्यूटर अनुप्रयोग में स्नातकोत्तर, (ग) चार्टरित लेखाकार (घ) प्रमाणित प्रबंधन लेखाकार, (ङ) विधि स्नातक (एल.एल.बी.), (च) जनसंचार में स्नातकोतर, (छ) (क) से (च)तक के लिए समतुल्य डिग्री (ज) प्राधिकरण के कार्यों से संबंधित कोई भी अन्य व्यावसायिक डिग्री, जैसा सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्णय लिया जाए। या इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी में सरकारी एजेंसियों से मान्यताप्राप्त किसी संस्थान से चार वर्षीय डिग्री। 2.शैक्षिक अर्हता प्राप्ति के बाद	1. प्रोन्नति – प्राधिकरण में अनुभाग अधिकारी के रूप में न्यूनतम छह वर्ष की नियमित सेवा की हो। 2. प्रतिनियुक्ति द्वारा-(i) केंद्र सरकार के अधिकारी जो अपने मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हों; या जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स लेवल 10 में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो; या वेतन मैट्रिक्स लेवल 9 में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; या वेतन मैट्रिक्स लेवल 8 या इससे अधिक में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो; या (ii) राज्य सरकार/ संघ-राज्य क्षेत्र/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ स्वायत्त संगठन के अधिकारी जो अपेक्षित कार्य अनुभव के समतुल्य श्रेणी में नियमित पद धारण किए हों। (iii) आयु 56 वर्ष से अधिक न हो।	1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भा.वि.प.प्रा.- अध्यक्ष 2. भा.वि.प.प्रा के दो उपमहानिदेशक-सदस्य

पद का नाम	पदों की संख्या	भर्ती की पद्धति और विभिन्न विधियों द्वारा भरे जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	श्रेणी, जिससे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है	चयन समिति का संयोजन
1	2	3	4	5	6	7
				संबंधित क्षेत्र में छह वर्ष का कार्यानुभव।		
अनुभाग अधिकारी	[6][70 (कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय)]	1. 50% प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा 2. शेष प्रतिनियुक्ति-सह-आमेलन द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	अधिकतमः 35 वर्ष	किसी भी विषय में स्नातक तथा शैक्षिक अर्हता प्राप्ति के बाद संबंधित क्षेत्र में पांच वर्ष का कार्यानुभव। या किसी भी विषय में स्नातक के साथ सरकारी एजेंसियों से मान्यताप्राप्त किसी संस्थान से निम्न में कोई भी व्यावसायिक डिग्री तथा शैक्षिक अर्हता प्राप्ति के बाद संबंधित क्षेत्र में तीन वर्ष का कार्यानुभव: (क)व्यवसाय प्रशासन में स्नातकोत्तर/ व्यवसाय प्रशासन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, (ख) कंप्यूटर अनुप्रयोग में स्नातकोत्तर, (ग) चार्टरित लेखाकार (घ) प्रमाणित प्रबंधन लेखाकार, (ङ) विधि स्नातक (एल.एल.बी.), (च) जनसंचार में स्नातकोतर (छ) (क) से (च)तक के लिए समतुल्य डिग्री	1. प्रोन्नति – प्राधिकरण में सहायक अनुभाग अधिकारी के रूप में न्यूनतम छह वर्ष की नियमित सेवा की हो। 2. प्रतिनियुक्ति द्वारा-(i) केंद्र सरकार के अधिकारी जो अपने मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हों; या जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स लेवल 7 में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो; या वेतन मैट्रिक्स लेवल 6 में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; या (ii) राज्य सरकार/ संघ-राज्य क्षेत्र/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ स्वायत्त संगठन के अधिकारी जो अपेक्षित कार्य अनुभव के समतुल्य श्रेणी में नियमित पद धारण किए हों।। (iii) आयु 56 वर्ष से अधिक न हो।	1. उपमहानिदेशक - अध्यक्ष 2. दो [7][निदेशक]- सदस्य

---

[6] अधिसूचना संख्या ए –12013/13/आरआर/2016- यूआईडीएआई (ई), दिनाँक- 15.10.2024 (प्रभाव से 17.10.2024) के द्वारा शब्द “61” के लिए प्रतिस्थापित किया गया ।

[7] प्रविष्टि को मुख्य विनियम का दूसरा संसोधन विनियम की अधिसूचना संख्या ए –12013/13/आर आर/2016- यूआईडीएआई दिनाँक- 21.3.2022 से पुनः पदनामित कर प्रतिस्थापित किया गया ।

पद का नाम	पदों की संख्या	भर्ती की पद्धति और विभिन्न विधियों द्वारा भरे जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	श्रेणी, जिससे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है	चयन समिति का संयोजन
1	2	3	4	5	6	7
				(ज) प्राधिकरण के कार्यों से संबंधित कोई भी अन्य व्यावसायिक डिग्री, जैसा सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्णय लिया जाए।		
सहायक अनुभाग अधिकारी	54* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय	100% प्रतिनियुक्ति-सह-आमेलन द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	अधिकतम: 35 वर्ष	1. किसी भी विषय में स्नातक 2. कंप्यूटर में न्यूनतम छह माह का प्रमाणपत्र 3. शैक्षिक अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् तीन वर्ष का संबंधित कार्यानुभव।	प्रतिनियुक्ति द्वारा-(i) केंद्र सरकार के अधिकारी जो अपने मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हों; या जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स लेवल 5 में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो; या जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स लेवल 4 में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; या वेतन मैट्रिक्स लेवल 3 में सात वर्ष की नियमित सेवा की हो; (ii) राज्य सरकार/ संघ-राज्य क्षेत्र/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ स्वायत्त संगठन के अधिकारी जो अपेक्षित कार्य अनुभव के समतुल्य श्रेणी में नियमित पद धारण किए हों।। (iii) आयु 56 वर्ष से अधिक न हो।	1. उपमहानिदेशक - अध्यक्ष 2. दो [8][निदेशक]- सदस्य

[8] प्रविष्टि को मुख्य विनियम का दूसरा संसोधन विनियम की अधिसूचना संख्या ए–12013/13/आर आर/2016- यूआईडीएआई (2022 का संख्या 3) दिनाँक- 21.3.2022 से पुनः पदनामित कर प्रतिस्थापित किया गया ।

पद का नाम	पदों की संख्या	भर्ती की पद्धति और विभिन्न विधियों द्वारा भरे जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	श्रेणी, जिससे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है	चयन समिति का संयोजन
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
[9]**[निदेशक (प्रौद्योगिकी)]**	9* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय	1. 50% प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा 2. शेष प्रतिनियुक्ति द्वारा या संविदा आधार पर	लागू नहीं	लागू नहीं	1. प्रोन्नति – प्राधिकरण में सहायक महानिदेशक (प्रौद्योगिकी – उप सचिव स्तर) के रूप में न्यूनतम चार वर्ष की नियमित सेवा की हो। या प्राधिकरण में उपनिदेशक (प्रौद्योगिकी) के रूप में न्यूनतम आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो। 2. प्रतिनियुक्ति द्वारा-(i) केंद्र सरकार के अधिकारी जो अपने मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हों; या जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स लेवल 12 या इससे अधिक में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो; या (ii) राज्य सरकार/ संघ-राज्य क्षेत्र/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ स्वायत्त संगठन के अधिकारी जो अपेक्षित कार्य अनुभव के समतुल्य श्रेणी में नियमित पद धारण किए हों।	1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भा.वि.प.प्रा.- अध्यक्ष 2. भा.वि.प.प्रा के दो उपमहानिदेशक- सदस्य 3. बाह्य विशेषज्ञ, यदि समिति के अध्यक्ष द्वारा आवश्यक समझा जाए

[9] प्रविष्टि को मुख्य विनियम का दूसरा संसोधन विनियम की अधिसूचना संख्या ए–12013/13/आर आर/2016- यूआईडीएआई (2022 का संख्या 3) दिनाँक- 21.3.2022 से पुनः पदनामित कर प्रतिस्थापित किया गया ।

पद का नाम	पदों की संख्या	भर्ती की पद्धति और विभिन्न विधियों द्वारा भरे जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	श्रेणी, जिससे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है	चयन समिति का संयोजन
1	2	3	4	5	6	7
					(iii) सरकारी एजेंसियों द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से [10][***] इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी की चार साल की डिग्री या कंप्यूटर अनुप्रयोगों में स्नातकोत्तर डिग्री। (iv) आयु 56 वर्ष से अधिक न हो।	
[11][सहायक महानिदेशक (प्रौद्योगिकी)]	1* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय	100% प्रतिनियुक्ति-सह-आमेलन द्वारा	लागू नहीं	लागू नहीं	1. प्रतिनियुक्ति द्वारा-(i) केंद्र सरकार के अधिकारी जो अपने मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हों; या जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स लेवल 11 या इससे अधिक में चार वर्ष की नियमित सेवा की हो; या (ii) राज्य सरकार/ संघ-राज्य क्षेत्र/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ स्वायत्त संगठन के अधिकारी जो अपेक्षित कार्य अनुभव के समतुल्य श्रेणी में नियमित पद धारण किए हों। (iii) सरकारी एजेंसियों द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से [12][***] इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी की चार साल की डिग्री या कंप्यूटर अनुप्रयोगों में स्नातकोत्तर डिग्री। (iv) आयु 56 वर्ष से अधिक न हो।	1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भा.वि.प.प्रा.- अध्यक्ष 2. भा.वि.प.प्रा के दो उपमहानिदेशक-सदस्य

[10] 'कंप्यूटर साइंस, सूचना प्रौद्योगिकी या इलेक्ट्रॉनिकी' प्रविष्टि को मुख्य विनियम का पहला संसोधन की अधिसूचना संख्या ए – 12013/13/आर आर/2016- यूआईडीएआई दिनाँक- 27.12.2021 (प्रभाव से 28.12.2021) से हटाया गया ।

[11] प्रविष्टि को मुख्य विनियम का दूसरा संसोधन विनियम की अधिसूचना संख्या ए–12013/13/आर आर/2016- यूआईडीएआई दिनाँक- 21.3.2022 से पुनः पदनामित कर प्रतिस्थापित किया गया ।

[12] कंप्यूटर साइंस, सूचना प्रौद्योगिकी या इलेक्ट्रॉनिकी' प्रविष्टि को मुख्य विनियम को तृतीय संसोधन की अधिसूचना संख्या ए – 12013/13/आर आर/2016- यूआईडीएआई दिनाँक- 18.7.2022 से हटाया गया ।

पद का नाम	पदों की संख्या	भर्ती की पद्धति और विभिन्न विधियों द्वारा भरे जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	श्रेणी, जिससे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है	चयन समिति का संयोजन
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
उपनिदेशक (प्रौद्योगिकी)	10* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय	1. 50% प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा 2. शेष प्रतिनियुक्ति-सह-आमेलन द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	अधिकतम: 45 वर्ष	1. सरकारी एजेंसियों द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी की चार साल की डिग्री या कंप्यूटर अनुप्रयोगों में स्नातकोत्तर डिग्री। 2. शैक्षिक अर्हता प्राप्ति के बाद संबंधित क्षेत्र में छह वर्ष का कार्यानुभव।	1. प्रोन्नति – प्राधिकरण में सहायक निदेशक (प्रौद्योगिकी) के रूप में न्यूनतम तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो। 2. प्रतिनियुक्ति द्वारा-(i) केंद्र सरकार के अधिकारी जो अपने मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हों; या जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स लेवल 10 में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो; या वेतन मैट्रिक्स लेवल 9 में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; या वेतन मैट्रिक्स लेवल 8 या इससे अधिक में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो; या (ii) राज्य सरकार/ संघ-राज्य क्षेत्र/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ स्वायत्त संगठन के अधिकारी जो अपेक्षित कार्य अनुभव के समतुल्य श्रेणी में नियमित पद धारण किए हों। (iii) **[13][**सरकारी एजेंसी द्वारा मान्यताप्राप्त संस्थान से इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में चार वर्ष की डिग्री या कंप्यूटर ऐप्लिकेशन में स्नात्कोत्तर डिग्री।]	1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भा.वि.प.प्रा.- अध्यक्ष 2. भा.वि.प.प्रा के दो उपमहानिदेशक-सदस्य

[13]प्रविष्टि को मुख्य विनियम का पहला संसोधन की अधिसूचना संख्या ए –12013/13/आर आर/2016- यूआईडीएआई दिनाँक- 27.12.2021 (प्रभाव से 28.12.2021) से प्रतिस्थापित किया गया ।

पद का नाम	पदों की संख्या	भर्ती की पद्धति और विभिन्न विधियों द्वारा भरे जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	श्रेणी, जिससे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है	चयन समिति का संयोजन
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
					(iv) आयु 56 वर्ष से अधिक न हो।	
सहायक निदेशक (प्रौद्योगिकी)	10* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय	[14][प्रतिनियुक्ति / प्रोन्नति / संविदा]	अधिकतम: 30 वर्ष	सरकारी एजेंसियों द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी की चार साल की डिग्री या कंप्यूटर अनुप्रयोगों में स्नातकोत्तर डिग्री।	1. प्रोन्नति – प्राधिकरण में तकनीकी अधिकारी के रूप में न्यूनतम तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो। 2. प्रतिनियुक्ति द्वारा-(i) केंद्र सरकार के अधिकारी जो अपने मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हों; या जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स लेवल 9 में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो; या वेतन मैट्रिक्स लेवल 8 में चार वर्ष की नियमित सेवा की हो; या वेतन मैट्रिक्स लेवल 7 में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो; या (ii) राज्य सरकार/ संघ-राज्य क्षेत्र/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ स्वायत्त संगठन के अधिकारी जो अपेक्षित कार्य अनुभव के समतुल्य श्रेणी में नियमित पद धारण किए हों। (iii) **[15][**सरकारी एजेंसी द्वारा मान्यताप्राप्त	1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भा.वि.प.प्रा.- अध्यक्ष 2. भा.वि.प.प्रा के दो उपमहानिदेशक-सदस्य

[14] प्रविष्टि को मुख्य विनियम को तृतीय संसोधन की अधिसूचना संख्या ए – 12013/13/आर आर/2016- यूआईडीएआई दिनाँक- 18.7.2022 से प्रतिस्थापित किया गया ।

पद का नाम	पदों की संख्या	भर्ती की पद्धति और विभिन्न विधियों द्वारा भरे जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	श्रेणी, जिससे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है	चयन समिति का संयोजन
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
					संस्थान से इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में चार वर्ष की डिग्री या कंप्यूटर ऐप्लिकेशन में स्नात्कोत्तर डिग्री।] (iv) आयु 56 वर्ष से अधिक न हो।	
तकनीकी अधिकारी	14* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय	100% प्रतिनियुक्ति-सह-आमेलन द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	अधिकतम: 35 वर्ष	सरकारी एजेंसियों द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी की चार साल की डिग्री या कंप्यूटर अनुप्रयोगों में स्नातकोत्तर डिग्री।	प्रतिनियुक्ति द्वारा-(i) केंद्र सरकार के अधिकारी जो अपने मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हों; या जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स लेवल 7 में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो; या वेतन मैट्रिक्स लेवल 6 में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; या (ii) राज्य सरकार/ संघ-राज्य क्षेत्र/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ स्वायत्त संगठन के अधिकारी जो अपेक्षित कार्य अनुभव के समतुल्य श्रेणी में नियमित पद धारण किए हों। (iii) **[14][**सरकारी एजेंसी द्वारा मान्यताप्राप्त संस्थान से इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में चार वर्ष की डिग्री या कंप्यूटर ऐप्लिकेशन में स्नात्कोत्तर डिग्री।] (iv) आयु 56 वर्ष से अधिक न हो।	1. उपमहानिदेशक - अध्यक्ष 2. दो [16][निदेशक]- सदस्य

[15] प्रविष्टि को मुख्य विनियम का पहला संसोधन की अधिसूचना संख्या ए –12013/13/आर आर/2016- यूआईडीएआई दिनाँक- 27.12.2021 (प्रभाव से 28.12.2021) से प्रतिस्थापित किया गया ।

[16] प्रविष्टि को मुख्य विनियम का दूसरा संसोधन विनियम की अधिसूचना संख्या ए–12013/13/आर आर/2016- यूआईडीएआई दिनाँक- 21.03.2022 से पुनः पदनामित कर प्रतिस्थापित किया गया ।

पद का नाम	पदों की संख्या	भर्ती की पद्धति और विभिन्न विधियों द्वारा भरे जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	श्रेणी, जिससे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है	चयन समिति का संयोजन
1	2	3	4	5	6	7
वरिष्ठ लेखा अधिकारी	10* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय	1. 50% प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा 2. शेष प्रतिनियुक्ति-सह-आमेलन द्वारा	लागू नहीं	लागू नहीं	1. प्रोन्नति – प्राधिकरण में सहायक लेखा अधिकारी के रूप में न्यूनतम पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो। 2. प्रतिनियुक्ति द्वारा-(i) केंद्र सरकार के अधिकारी जो अपने मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हों; या जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स लेवल 9 में दो वर्ष की नियमित सेवा की हो; या वेतन मैट्रिक्स लेवल 8 में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; या (ii) राज्य सरकार/ संघ-राज्य क्षेत्र/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ स्वायत्त संगठन के अधिकारी जो अपेक्षित कार्य अनुभव के समतुल्य श्रेणी में नियमित पद धारण किए हों। (iii) चार्टरित लेखाकार/ लागत लेखाकार/ व्यवसाय प्रशासन स्नातकोत्तर (वित्त) की व्यावसायिक अर्हताएं; या केंद्र/राज्य सरकार के संगठित लेखा संवर्ग की अधीनस्थ लेखा सेवा/समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो या आईएसटीएम द्वारा आयोजित रोकड़ एवं	1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भा.वि.प.प्रा.- अध्यक्ष 2. भा.वि.प.प्रा के दो उपमहानिदेशक-सदस्य

पद का नाम	पदों की संख्या	भर्ती की पद्धति और विभिन्न विधियों द्वारा भरे जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	श्रेणी, जिससे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है	चयन समिति का संयोजन
1	2	3	4	5	6	7
					लेखा कार्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो; (iv) आयु 56 वर्ष से अधिक न हो।	
सहायक लेखा अधिकारी	10* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय	1. 50% प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा 2. शेष प्रतिनियुक्ति-सह-आमेलन द्वारा द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	अधिकतम 45 वर्ष	1. वाणिज्य स्नातक 2. शासपत्रित लेखाकार/लागत लेखाकार/ व्यवसाय प्रशासन (वित्त) में स्नातकोत्तर की व्यावसायिक अर्हताएं या केंद्र/राज्य सरकार के संगठित लेखा संवर्ग की अधीनस्थ लेखा सेवा/समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो 3. लेखा संबंधी कार्य करने का न्यूनतम पांच वर्ष का अनुभव।	1. प्रोन्नति – प्राधिकरण में लेखाकार के रूप में न्यूनतम आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो। 2. प्रतिनियुक्ति द्वारा-(i) केंद्र सरकार के अधिकारी जो अपने मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हों; या जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स लेवल 7 में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो; या वेतन मैट्रिक्स लेवल 6 में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; या (ii) राज्य सरकार/ संघ-राज्य क्षेत्र/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ स्वायत्त संगठन के अधिकारी जो अपेक्षित कार्य अनुभव के समतुल्य श्रेणी में नियमित पद धारण किए हों। (iii) चार्टरित लेखाकार /लागत लेखाकार/व्यवसाय प्रशासन स्नातकोत्तर(वित्त)की व्यावसायिक अर्हताएं; या केंद्र/राज्य सरकार के संगठित लेखा संवर्ग	1. उपमहानिदेशक - अध्यक्ष 2. दो [17][निदेशक]- सदस्य

[17] प्रविष्टि को मुख्य विनियम का दूसरा संसोधन विनियम की अधिसूचना संख्या ए–12013/13/आर आर/2016- यूआईडीएआई दिनाँक- 21.3.2022 से पुनः पदनामित कर प्रतिस्थापित किया गया ।

पद का नाम	पदों की संख्या	भर्ती की पद्धति और विभिन्न विधियों द्वारा भरे जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	श्रेणी, जिससे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है	चयन समिति का संयोजन
1	2	3	4	5	6	7
					की अधीनस्थ लेखा सेवा/समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो या आईएसटीएम द्वारा आयोजित रोकड़ एवं लेखा कार्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो; या लेखा संबंधी कार्य करने का न्यूनतम पांच वर्ष का अनुभव हो। (iv) आयु 56 वर्ष से अधिक न हो।	
लेखाकार	12* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय	100% प्रतिनियुक्ति – सह-आमेलन द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	अधिकतम 30 वर्ष	1. वाणिज्य स्नातक	प्रतिनियुक्ति द्वारा-(i) केंद्र सरकार के अधिकारी जो अपने मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हों; या जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स लेवल 4 में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो; या वेतन मैट्रिक्स लेवल 3 में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; या (ii) राज्य सरकार/ संघ-राज्य क्षेत्र/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ स्वायत्त संगठन के अधिकारी जो अपेक्षित कार्य अनुभव के समतुल्य श्रेणी में नियमित पद धारण किए हों; (ii) वाणित्य स्नातक	1. उपमहानिदेशक - अध्यक्ष 2. दो [18][निदेशक]- सदस्य

[18] प्रविष्टि को मुख्य विनियम का दूसरा संसोधन विनियम की अधिसूचना संख्या ए–12013/13/आर आर/2016- यूआईडीएआई दिनाँक- 21.3.2022 से पुनः पदनामित कर प्रतिस्थापित किया गया ।

पद का नाम	पदों की संख्या	भर्ती की पद्धति और विभिन्न विधियों द्वारा भरे जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	श्रेणी, जिससे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है	चयन समिति का संयोजन
1	2	3	4	5	6	7
					(iii) आयु 56 वर्ष से अधिक न हो।	
वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव/ प्रधान निजी सचिव	1* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय	100% प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	लागू नहीं	लागू नहीं	**वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव** 1. प्रोन्नति – प्राधिकरण में प्रधान निजी सचिव के रूप में न्यूनतम चार वर्ष की नियमित सेवा की हो। 2. प्रतिनियुक्ति द्वारा-(i) केंद्र सरकार के अधिकारी जो अपने मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हों; या जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स लेवल 11 में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो; या वेतन मैट्रिक्स लेवल 10 में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो; या (ii) राज्य सरकार/ संघ-राज्य क्षेत्र/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ स्वायत्त संगठन के अधिकारी जो अपेक्षित कार्य अनुभव के समतुल्य श्रेणी में नियमित पद धारण किए हों; (iv) आयु 56 वर्ष से अधिक न हो। **प्रधान निजी सचिव** 1. प्रोन्नति – प्राधिकरण में निजी सचिव के रूप में न्यूनतम छह वर्ष की नियमित सेवा की हो। 2. प्रतिनियुक्ति द्वारा-(i) केंद्र सरकार के अधिकारी जो अपने मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए	1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भा.वि.प.प्रा.- अध्यक्ष 2. भा.वि.प.प्रा के दो उपमहानिदेशक- सदस्य

पद का नाम	पदों की संख्या	भर्ती की पद्धति और विभिन्न विधियों द्वारा भरे जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	श्रेणी, जिससे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है	चयन समिति का संयोजन
1	2	3	4	5	6	7
					हों; या जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स लेवल 10 में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो; या वेतन मैट्रिक्स लेवल 9 में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; या वेतन मैट्रिक्स लेवल 8 में सात वर्ष की नियमित सेवा की हो; या (ii) राज्य सरकार/ संघ-राज्य क्षेत्र/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ स्वायत्त संगठन के अधिकारी जो अपेक्षित कार्य अनुभव के समतुल्य श्रेणी में नियमित पद धारण किए हों; (iv) आयु 56 वर्ष से अधिक न हो।	
निजी सचिव	[19][29 (कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय)]	1. 50% प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा 2. शेष प्रतिनियुक्ति-सह-आमेलन द्वारा	लागू नहीं	लागू नहीं	1. प्रोन्नति – प्राधिकरण में आशुलिपिक के रूप में न्यूनतम छह वर्ष की नियमित सेवा की हो। 2. प्रतिनियुक्ति द्वारा-(i) केंद्र सरकार के अधिकारी जो अपने मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हों; या जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स लेवल 7 में तीन वर्ष की	1. उपमहानिदेशक - अध्यक्ष 2. दो [20][निदेशक] - सदस्य

[19] अधिसूचना संख्या ए –12013/13/आरआर/2016- यूआईडीएआई (ई), दिनाँक- 15.10.2024 (प्रभाव से 17.10.2024) के द्वारा शब्द "38" के लिए प्रतिस्थापित किया गया।
[20] प्रविष्टि को मुख्य विनियम का दूसरा संसोधन विनियम की अधिसूचना संख्या ए–12013/13/आर आर/2016- यूआईडीएआई दिनाँक- 21.3.2022 से पुनः पदनामित कर प्रतिस्थापित किया गया।

पद का नाम	पदों की संख्या	भर्ती की पद्धति और विभिन्न विधियों द्वारा भरे जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	श्रेणी, जिससे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है	चयन समिति का संयोजन
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
					नियमित सेवा की हो; या वेतन मैट्रिक्स लेवल 6 में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; या (ii) राज्य सरकार/ संघ-राज्य क्षेत्र/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ स्वायत्त संगठन के अधिकारी जो अपेक्षित कार्य अनुभव के समतुल्य श्रेणी में नियमित पद धारण किए हों; (iii) आयु 56 वर्ष से अधिक न हो।	
[21][सहायक तकनीकी अधिकारी वेतन मैट्रिक्स स्तर-6	12	[22][प्रतिनियुक्ति / आमेलन /सीधी भर्ती/ संविदा]	अधिकतम 30 वर्ष	सरकारी एजेंसी से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में चार वर्ष की डिग्री या कंप्यूटर ऐप्लिकेशन में स्नात्कोत्तर डिग्री	प्रतिनियुक्ति से- (i) केंद्र सरकार में सदृश्य पद पर अपने मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर कार्यरत अधिकारी; **या** वेतन मैट्रिक्स स्तर 05 में तीन वर्ष की नियमित सेवा; **या** वेतन मैट्रिक्स स्तर 04 में पांच वर्ष की नियमित सेवा; **या** वेतन मैट्रिक्स स्तर 03 में सात वर्ष की नियमित सेवा; **या** अपेक्षित अनुभव के साथ समतुल्य ग्रेड में नियमित पद पर कार्यरत राज्य / सार्वजनिक	1. उपमहानिदेशक - अध्यक्ष 2. दो [21][निदेशक] – सदस्य]

[21] प्रविष्टि को मुख्य विनियम का दूसरा संसोधन विनियम की अधिसूचना संख्या ए –12013/13/आर आर/2016- यूआईडीएआई दिनाँक- 21.3.2022 से प्रतिस्थापित किया गया ।
[22] अधिसूचना संख्या ए –12013/13/आरआर/2016- यूआईडीएआई (ई), दिनाँक- 24.1.2024 (प्रभाव से 25.1.2024) के द्वारा शब्द "प्रतिनियुक्ति / आमेलन / सीधी भर्ती" के लिए प्रतिस्थापित किया गया ।

पद का नाम	पदों की संख्या	भर्ती की पद्धति और विभिन्न विधियों द्वारा भरे जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	श्रेणी, जिससे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है	चयन समिति का संयोजन
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
					उपक्रम/ स्वायत्त संगठन के अधिकारी; (ii) इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में चार वर्ष की डिग्री या कंप्यूटर ऐप्लिकेशन में स्नात्कोत्तर डिग्री। (iii) आयु 56 वर्ष से अधिक न हो।	
सहायक निदेशक (राजभाषा)	1* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय	100% प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति –सह-आमेलन द्वारा	लागू नहीं	लागू नहीं	1. प्रोन्नति द्वारा – प्राधिकरण में कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी के पद पर न्यूनतम आठ वर्ष की नियमित सेवा 2. प्रतिनियुक्ति द्वारा- (i) केंद्र सरकार के अधिकारी जो अपने मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हों; या जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स लेवल 7/वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी के रूप में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो; या वेतन मैट्रिक्स लेवल 6/ कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी के रूप में सात वर्ष की नियमित सेवा की हो; या (ii) राज्य सरकार/ संघ-राज्य क्षेत्र/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ स्वायत्त संगठन के अधिकारी जो अपेक्षित कार्य अनुभव के समतुल्य श्रेणी में नियमित पद धारण किए हों; (iii) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अंग्रेजी के साथ हिंदी में स्नातकोत्तर की डिग्री	1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भा.वि.प.प्रा.- अध्यक्ष 2. भा.वि.प.प्रा के दो उपमहानिदेशक- सदस्य

पद का नाम	पदों की संख्या	भर्ती की पद्धति और विभिन्न विधियों द्वारा भरे जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	श्रेणी, जिससे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है	चयन समिति का संयोजन
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
					या मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर हिंदी विषय के साथ अंग्रेजी में स्नातकोत्तर की डिग्री या मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर हिंदी और अंग्रेजी विषय के साथ किसी भी विषय में स्नातकोत्तर की डिग्री (iv) आयु 56 वर्ष से अधिक न हो।	
कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी	1* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय	100% प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति –सह-आमेलन द्वारा	लागू नहीं	लागू नहीं	1. प्रोन्नति द्वारा – प्राधिकरण में हिंदी टाइपिस्ट के पद पर न्यूनतम आठ वर्ष की नियमित सेवा 2. प्रतिनियुक्ति द्वारा- (i) केंद्र सरकार के अधिकारी जो अपने मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हों; या जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स लेवल 5 में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो; या (ii) राज्य सरकार/ संघ-राज्य क्षेत्र/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ स्वायत्त संगठन के अधिकारी जो अपेक्षित कार्य अनुभव के समतुल्य श्रेणी में नियमित पद धारण किए हों। (iii) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से	1. उपमहानिदेशक - अध्यक्ष 2. दो [23][निदेशक] - सदस्य

[23] प्रविष्टि को मुख्य विनियम का दूसरा संसोधन विनियम की अधिसूचना संख्या ए–12013/13/आर आर/2016- यूआईडीएआई दिनाँक- 21.3.2022 से पुनः पदनामित कर प्रतिस्थापित किया गया ।

पद का नाम	पदों की संख्या	भर्ती की पद्धति और विभिन्न विधियों द्वारा भरे जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	श्रेणी, जिससे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है	चयन समिति का संयोजन
1	2	3	4	5	6	7
					अंग्रेजी/हिंदी विषय के साथ हिंदी /अंग्रेजी में स्नातक या समतुल्य या अनुवाद में डिप्लोमा/प्रमाणपत्र या अंग्रेजी से हिंदी व विलोमत: तकनीकी अनुवाद का दो वर्ष का अनुभव (iv) आयु 56 वर्ष से अधिक न हो।	
हिंदी टाइपिस्ट	1* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय	100% प्रतिनियुक्ति – सह-आमेलन द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	अधिकतम 35 वर्ष	1. मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी/ हिंदी विषय के साथ हिंदी/ अंग्रेजी में स्नातक या समतुल्य या अनुवाद में डिप्लोमा/प्रमाणपत्र के साथ उच्चतर माध्यमिक शिक्षा **3.** हिंदी टंकण की गति 30 शब्द प्रति मिनट	प्रतिनियुक्ति द्वारा-(i) केंद्र सरकार के अधिकारी जो अपने मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हों; या (ii) राज्य सरकार/ संघ-राज्य क्षेत्र/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ स्वायत्त संगठन के अधिकारी जो अपेक्षित कार्य अनुभव के समतुल्य श्रेणी में नियमित पद धारण किए हों। (iii) आयु 56 वर्ष से अधिक न हो।	1. उपमहानिदेशक - अध्यक्ष 2. दो [24][निदेशक] - सदस्य
वाहन चालक	2* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय	100% सीधी भर्ती	अधिकतम 40 वर्ष	1. दसवीं कक्षा उत्तीर्ण; 2. मोटर वाहन का वैध ड्राइविंग लाइसेंस हो; 3. मोटर कार चलाने का न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव;	लागू नहीं	1. उपमहानिदेशक - अध्यक्ष 2. दो [25][निदेशक] - सदस्य

[24] प्रविष्टि को मुख्य विनियम का दूसरा संसोधन विनियम की अधिसूचना संख्या ए–12013/13/आर आर/2016- यूआईडीएआई दिनाँक- 21.3.2022 से पुनः पदनामित कर प्रतिस्थापित किया गया ।
[25] प्रविष्टि को मुख्य विनियम का दूसरा संसोधन विनियम की अधिसूचना संख्या ए–12013/13/आर आर/2016- यूआईडीएआई दिनाँक- 21.3.2022 से पुनः पदनामित कर प्रतिस्थापित किया गया ।

पद का नाम	पदों की संख्या	भर्ती की पद्धति और विभिन्न विधियों द्वारा भरे जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	श्रेणी, जिससे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है	चयन समिति का संयोजन
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
				और 4. हिंदी और अंग्रेजी का कार्यसाधक ज्ञान		